[2018] 4 एससीआर 316

दिल्ली प्रशासन

बनाम

विद्या गुप्ता

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 625)

अप्रैल 24,2018

[एसए बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जेजे]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 - धारा.7 - जलेबी बनाने के उद्देश्य से संग्रहीत घी से लिया गया नमूना - आरोप है कि घी का नमूना अधिनियम के अनुसार घी के मानकों के अनुरूप नहीं था - एसएस 2 के तहत दोषसिद्धि आईए), (ए), (¢) और (एम) धारा 16(1) (ए) आरडब्ल्यू के तहत दंडनीय हैं। अधिनियम की धारा 5.7 - प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा बरी करना - उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरी करने से इनकार कर दिया कि घी का नमूना बिक्री के लिए नहीं था, बल्कि इसका उपयोग केवल मिठाइयों की तैयारी में एक सामग्री के रूप में किया जाना था, जो बदले में थे। बिक्री के लिए - अपील पर, माना गया: धारा 7 इस तथ्य के बावजूद कि मिलावटी भोजन के भंडारण पर रोक लगाती है कि ऐसा मिलावटी भोजन स्वयं बिक्री के लिए पेश नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है जो बिक्री के लिए पेश किया जाता है - इस प्रकार, क्या मिलावटी है भोजन को बिक्री के लिए संग्रहीत किया जाता है, या ऐसे भोजन को किसी अन्य खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए संग्रहीत किया जाता है जिसे बेचा जाता है, ऐसा भंडारण एक अपराध है - प्रतिवादी को बरी कर दिया जाता है - हालाँकि, सजा पहले से ही गुजर चुकी अवधि तक ही सीमित है क्योंकि आरोपी अब लगभग है 70 साल पुराना है और कार्यवाही 2004 में शुरू हुई और तब से कारोबार बंद है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 - धारा.13 - सार्वजनिक विश्लेषक और निदेशक, सीएफएल की रिपोर्ट के बीच भिन्नता - निदेशक से प्रमाण पत्र का साक्ष्य मूल्य - माना गया: कानून निदेशक की रिपोर्ट को अधिक महत्व देता है कि यह न्यायालय को प्रतिबंधित करता है निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक अभियोजन जारी रखना - धारा.13 की उपधारा 3 स्पष्ट रूप से पीए द्वारा दी गई रिपोर्ट की तुलना में निदेशक से प्रमाण पत्र को उच्च साक्ष्य मूल्य बताती है - उपधारा 5 का प्रावधान प्रदान करता है कि निदेशक का प्रमाणपत्र उसमें

बताए गए तथ्यों का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा - इस प्रकार, पीए की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में कार्यवाही में कोई महत्व खो देती है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. धारा 7 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिक्री के लिए किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण के उद्देश्य से किसी मिलावटी भोजन का भंडारण करता है, तो उसे मिलावटी भोजन का भंडारण करने वाला माना जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट है, यह मिलावटी खाद्य पदार्थों के भंडारण पर रोक लगाता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा मिलावटी भोजन स्वयं बिक्री के लिए पेश नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग बिक्री के लिए पेश किए गए कुछ खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से भोजन में मिलावट और जनता को इसकी बिक्री को रोकने के लिए है, भले ही इसका उपयोग बिक्री के लिए पेश किए गए किसी अन्य भोजन को तैयार करने के लिए किया जाना हो। इस प्रकार, किसी भी तरह से, चाहे मिलावटी भोजन बिक्री के लिए संग्रहीत किया गया हो, या यदि ऐसा भोजन किसी अन्य खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए संग्रहीत किया जाता है जिसे बेचा जाता है, तो ऐसा भंडारण एक अपराध है। संसद ने सही ही माना है कि कोई भी, जो बिक्री के लिए भोजन की पेशकश करता है, वह भोजन का भंडारण नहीं करेगा जिसका उपयोग बिक्री के लिए रखे गए किसी भोजन में नहीं किया जाना है। [पैरा 6]

2. कानून निदेशक की रिपोर्ट को इतना अधिक महत्व देता है कि यह न्यायालय को निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक अभियोजन जारी रखने से रोकता है। धारा 13 की उपधारा 3 स्पष्ट रूप से पीए द्वारा दी गई रिपोर्ट की तुलना में निदेशक के प्रमाणपत्र को उच्च साक्ष्य मूल्य बताती है। उप-धारा 5 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि निदेशक का प्रमाणपत्र उसमें बताए गए तथ्यों का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा। इस प्रकार, पीए की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में कार्यवाही में कोई महत्व खो देती है। इसलिए, न्यायालय के पास पीए की रिपोर्ट की सामग्री का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं है। जहां पीए की रिपोर्ट की सामग्री को संदर्भित करने का कोई कारण नहीं है, वहां पीए और निदेशक की रिपोर्ट के बीच भिन्नता को संदर्भित करने का और भी कम कारण है। न्यायालय को कानून द्वारा केवल निदेशक के प्रमाणपत्र की सामग्री पर विचार करने का आदेश दिया गया है। [पैरा 9,10]

3. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दोनों रिपोर्टों के बीच अंतर 0.76% था और इसलिए राम सिंह के मामले में अनुमति के अनुसार 0.3% से अधिक था, पूरी तरह से अस्थिर है और खारिज किए जाने योग्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार नहीं था और दोषमुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है। हालाँकि, कार्यवाही वर्ष 2004 में

शुरू हुई, तब से व्यवसाय बंद हो गया है और आरोपी अब लगभग 70 वर्ष का है। इन परिस्थितियों में, सज़ा पहले से बिताई गई अवधि तक ही सीमित है। [पैरा 12]

कलकत्ता नगर निगम बनाम पवन कुमार सराफ और अन्य **(1999) 2 एससीसी 400: [1999] 1 एससीआर 74 - पर भरोसा किया गया।**

कांशी नाथ बनाम राज्य **2005 (2) एफएसी 219 ;** *राज्य बनाम महेंद्र कुमार एवं अन्य।* **2008 (1) एफएसी 177 - अच्छा कानून नहीं।**

दिल्ली नगर निगम बनाम लक्ष्मी नारायण टंडन **(1976) 1 एससीसी 546: [1976] 2 एससीआर 1050 - अनुपयुक्त ठहराया गया।**

राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम राम सिंह और अन्य **(2009) 1 एफएसी 371;** *दिल्ली नगर निगम बनाम कचेरू मल* **(1976) 1 एससीसी 412: [1976] 2 एससीआर 1- संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

(2009) 1 एफएसी 371	**पैरा 2**	**को संदर्भित करता है**
[1976] 2 एससीआर 1	**पैरा 4**	**को संदर्भित करता है**
[1976] 2 एससीआर 1050 को	**पैरा 7**	**अनुपयुक्त माना गया**
[1999] 1 एससीआर 74	**पैरा 11**	**पर निर्भर था**
2005 (2) एफएसी 219	**अच्छा कानून नहीं है**	**पैरा 12**
2008 (1) एफएसी 177	**अच्छा कानून नहीं है**	**पैरा 12**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 625।

2013 के सीआरएल एल.पी. संख्या 764 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2013 से।

अमन लेखी, एएसजी, अमन सिन्हा, के.एल. जंजानी, भरत सिंह, बी.वी. बलराम दास, अपीलकर्ता के वकील।

त्रिपुरारी राय, विक्रांत यादव (एम. सी. ढींगरा के लिए), प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का फैसला **एसए बोबडे, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी

2. आरोपी, मैसर्स न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर का विक्रेता, दुकान के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय का प्रभारी था! दिनांक 08.04.2004 को शाम लगभग 7.00 बजे, खाद्य निरीक्षक श्री एस.के. शर्मा ने आरोपी की दुकान से विश्लेषण के लिए खाद्य सामग्री घी का एक नमूना खरीदा, जहां उक्त खाद्य सामग्री बिक्री के लिए रखी गई थी।

नमूने में एक साफ और सूखे लंबे चम्मच की मदद से उचित मिश्रण के बाद, बिना किसी लेबल या घोषणा के एक खुले टिन से लिया गया लगभग 600 ग्राम घी शामिल था। नमूने को तीन समान भागों में विभाजित किया गया था और श्री बीएम जैन, एसडीएम/एलएचए की देखरेख और निर्देशन में तीन अलग-अलग साफ और सूखी कांच की बोतलों में आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग संग्रहीत किया गया था। एलएचए स्लिप और सैंपल बोतलों के रैपर पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिए गए और मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया।

नमूने का एक समकक्ष? सार्वजनिक विश्लेषक, दिल्ली (इसके बाद "पीए" के रूप में संदर्भित) को भेजा गया था, और अन्य दो समकक्षों को एलएचए के पास जमा कर दिया गया था। पीए ने राय दी कि नमूना अधिकतम ब्यूटिरो रेफ्रेक्टोमीटर (बाद में इसे "बीआर™) की रीडिंग सीमा 43 से अधिक है और इसका रीचर्ट मान 28 से कम है। नमूना बॉडॉइन टेस्ट के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया गया, जो कि नकारात्मक होने की स्थिति में नकारात्मक होना चाहिए घी। और इस प्रकार, मानक के अनुरूप नहीं है।

तलब करने पर, अभियुक्त ने दूसरा समकक्ष प्राप्त करने का विकल्प चुना? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के तहत निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला (इसके बाद "निदेशक" के रूप में संदर्भित) द्वारा विश्लेषण किए गए नमूने का। रिपोर्ट* में कहा गया कि नमूना अधिनियम के अनुसार घी के मानकों के अनुरूप नहीं था और आरोप तय किए गए। एसीएमएम-II ने आरोपी को अधिनियम की धारा 2 (आईए) (ए) (सी) और (एम) के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी ठहराया, जो धारा 7 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 16 (1) (ए) के तहत दंडनीय है। अधिनियम और उसे दोषी ठहराया®। सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 15.04.2011 के आदेश से एसीएमएम-II के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने के आदेश के खिलाफ, अभियोजन पक्ष ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के तहत अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया, और इसलिए वर्तमान अपील हमारे सामने है।

3. ऐसे दो कारण हैं जिनकी वजह से उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

(1) सबसे पहले, घी का जो नमूना लिया गया था वह बिक्री के लिए नहीं था, बल्कि इसका उपयोग केवल मिठाइयों की तैयारी में एक घटक के रूप में किया जाना था जो बदले में बिक्री के लिए थे, और इसलिए इसके तहत कोई अपराध नहीं बनता है अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (आईए) (सी¢) एवं (एम) और धारा 16 (1) (ए) के प्रावधान।

(2) दूसरे, बीआर रीडिंग के संबंध में पीए की रिपोर्ट और निदेशक की रिपोर्ट के बीच विसंगति थी। पीए ने बीआर रीडिंग 52.7 दर्ज की थी, जबकि निदेशक ने बीआर रीडिंग 53.1 दर्ज की थी। यह भिन्नता 0.76% यानी 0.3% से अधिक थी, और इसलिए नमूने को प्रकृति में प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता जैसा कि राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम राम सिंह और अन्य' में हुआ था।

हमने अधिनियम के प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और किसी भी कारण में कोई योग्यता नहीं पाई है।

<u>क्या खाद्य पदार्थ अवैध रूप से भंडारित किया गया था</u>

4. अधिनियम की धारा 7 किसी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ के भंडारण पर रोक लगाती है, जो इस प्रकार है:-

“7. भोजन की कुछ वस्तुओं के निर्माण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध। -कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा-

(i) कोई भी मिलावटी भोजन;

(यह) कोई भी गलत ब्रांड वाला भोजन;

(iii) खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु जिसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार छोड़कर;

(iv) खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु जिसकी बिक्री फिलहाल खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित है [सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, |

(v) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में खाद्य पदार्थ का कोई भी लेख; [या]

[(vi) कोई भी मिलावटी।]

[स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को किसी भी मिलावटी भोजन या गलत ब्रांड वाले भोजन या खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ का भंडारण करने वाला माना जाएगा यदि वह ऐसा भंडारण करता है बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ के किसी भी लेख के निर्माण के लिए भोजन।]"

इस धारा की व्याख्या दिल्ली नगर निगम बनाम कचेरू मल® मामले में प्रतिपादित व्याख्या के नियम के अनुसार की जानी चाहिए, जो इस अधिनियम के तहत भी उत्पन्न हुई थी। इस न्यायालय ने नियम को इस प्रकार प्रतिपादित किया:

"5. यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट की व्यापक बुराई पर अंकुश लगाने और उसका समाधान करने तथा लोगों को पौष्टिक भोजन की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि जहां भी संभव हो, बिना किसी अनुचित खिंचाव या तनाव के, ऐसे क़ानून की भाषा को इस तरह से समझा जाना चाहिए जो शरारत को दबा सके, उपचार को आगे बढ़ा सके, उसके उद्देश्य को बढ़ावा दे सके, उसकी सूक्ष्म चोरी को रोक सके और उसकी धूर्त हेराफेरी को विफल कर सके। ... ..."

5. यह मामला उपरोक्त स्पष्टीकरण को अनुभाग में बदल देता है। अभियुक्त के अनुसार, चूँकि जो घी मिलावटी पाया गया वह स्वयं बिक्री के लिए नहीं था, बल्कि मिठाइयों में एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाना था जो बिक्री के लिए थीं, इसलिए कोई अपराध नहीं बनता। दूसरे शब्दों में तर्क यह है कि मिलावटी घी का भंडारण वैध है, यदि घी स्वयं बिक्री के लिए नहीं है।

6. अनुभाग का स्पष्टीकरण इस तर्क का समर्थन नहीं करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिक्री के लिए किसी खाद्य पदार्थ का निर्माण करने के उद्देश्य से किसी मिलावटी खाद्य पदार्थ का भंडारण करता है, तो उसे मिलावटी भोजन का भंडारण करने वाला माना जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट है, यह मिलावटी खाद्य पदार्थों के भंडारण पर रोक लगाता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा मिलावटी भोजन स्वयं बिक्री के लिए पेश नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग बिक्री के लिए पेश किए गए कुछ खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से भोजन में मिलावट और जनता को इसकी बिक्री को रोकने के लिए है, भले ही इसका उपयोग बिक्री के लिए पेश किए गए किसी अन्य भोजन को तैयार करने के लिए किया जाना हो। इस प्रकार, किसी भी तरह से, चाहे मिलावटी भोजन बिक्री के लिए संग्रहीत किया गया हो, या यदि ऐसा भोजन किसी अन्य

खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए संग्रहीत किया जाता है जिसे बेचा जाता है, तो ऐसा भंडारण एक अपराध है। संसद ने सही ही माना है कि कोई भी, जो बिक्री के लिए भोजन की पेशकश करता है, वह भोजन का भंडारण नहीं करेगा जिसका उपयोग बिक्री के लिए रखे गए किसी भोजन में नहीं किया जाना है।

7. अभियुक्त के विद्वान वकील ने दिल्ली नगर निगम बनाम लक्ष्मी नारायण टंडन मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, इस न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि धारा 7 में "भंडार" शब्द का अर्थ "बिक्री के लिए भंडारण" है और इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए नहीं रखे गए खाद्य पदार्थों की मिलावटी वस्तु का भंडारण किया जाएगा। धारा 16 1(ए) के तहत अपराध नहीं बनता। विद्वान वकील के अनुसार, इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा क्योंकि यह पाया गया कि घी बिक्री के लिए नहीं, बल्कि बिक्री के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए यानी मिठाई तैयार करने के उद्देश्य से संग्रहीत किया गया था। . हालांकि प्रस्तुत किए जाने पर यह मान्य है, जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है वह अब तय किए गए बिंदु को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जब इस न्यायालय ने टंडन के मामले (सुप्रा) का फैसला किया, तो धारा ने स्पष्ट रूप से मिलावटी भोजन के भंडारण पर रोक नहीं लगाई, जो बिक्री के लिए नहीं था। इसलिए, इस न्यायालय ने माना कि मिलावटी भोजन का भंडारण, जो बिक्री के लिए नहीं था, अपराध नहीं था। टंडन के मामले (सुप्रा) का निर्णय 17.12.1975 को हुआ; वह संशोधन जिसने यह कल्पना पेश की कि किसी व्यक्ति को किसी भी मिलावटी भोजन का भंडारण करने वाला माना जाएगा, भले ही वह ऐसे भोजन को बिक्री के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए संग्रहीत करता हो, 1976 के अधिनियम 34 द्वारा 01.04.1976 से पेश किया गया था । इसलिए टंडन के मामले (सुप्रा) का वर्तमान मामले पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

वर्तमान मामले में, घी का जो नमूना लिया गया था वह उस घी से था जिसे जलेबी बनाने के लिए संग्रहीत किया गया था। अभियुक्त की स्वयं की स्वीकारोक्ति पर, अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से बनता है।

<u>सार्वजनिक विश्लेषक और निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बीच भिन्नता</u>

8. धारा 13!° वह प्रक्रिया बताती है जिसके द्वारा पीए की रिपोर्ट कि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट है, से निपटा जाता है। संक्षेप में प्रक्रिया इस प्रकार है:-

जब कोई रिपोर्ट मिलती है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट है और मुकदमा चलाया जाता है, तो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऐसे विश्लेषण की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे व्यक्ति या

व्यक्तियों को अग्रेषित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिन्होंने ऐसे खाद्य पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए आवेदन किया हो। धारा 12 के तहत। ऐसे व्यक्ति, यदि चाहें, तो निदेशक द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने का विश्लेषण कराने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, और न्यायालय फिर प्राप्त नमूने का एक हिस्सा निदेशक को भेज सकता है। निदेशक विश्लेषण के परिणाम को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र भेजेगा। जहां नमूने के दो हिस्सों को अदालत को भेजा गया है और एक हिस्सा अदालत द्वारा निदेशक को भेजा गया है, अदालत शेष भाग को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजने के लिए बाध्य है जो धारा 13 की उप-धारा (2 सी) के तहत निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इसे नष्ट करने के लिए बाध्य है।

9. कानून निदेशक की रिपोर्ट को इतना अधिक महत्व देता है कि यह न्यायालय को निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक अभियोजन जारी रखने से रोकता है।

धारा 13 की उपधारा 3 स्पष्ट रूप से पीए द्वारा दी गई रिपोर्ट की तुलना में निदेशक के प्रमाणपत्र को उच्च साक्ष्य मूल्य बताती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“13. जन विश्लेषक की रिपोर्ट-

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

(2ए) . . . . . .

(2बी) . . . . . .

(2सी) . . . . . .

(2डी) . . . . . .

(2इ) . . . . . .

(3) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा [उपधारा (2बी) के तहत] जारी किया गया प्रमाणपत्र उपधारा (1) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान ले लेगा।"

उप-धारा 5 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि निदेशक का प्रमाणपत्र उसमें बताए गए तथ्यों का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा।

उपरोक्त योजना, विशेष रूप से उप-धारा 3 जो प्रदान करती है कि निदेशक का प्रमाणपत्र पीए की रिपोर्ट का स्थान लेगा और परंतुक जो ऐसे प्रमाणपत्र को अंतिम और निर्णायक साक्ष्य बनाता है, इसे किसी भी संदेह की छाया से परे रखता है कि पीए की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में कार्यवाही में कोई महत्व नहीं रह जाता है।

10. इसलिए, न्यायालय के पास पीए की रिपोर्ट की सामग्री का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं है। जहां पीए की रिपोर्ट की सामग्री को संदर्भित करने का कोई कारण नहीं है, वहां पीए और निदेशक की रिपोर्ट के बीच भिन्नता को संदर्भित करने का और भी कम कारण है। न्यायालय को कानून द्वारा केवल निदेशक के प्रमाणपत्र की सामग्री पर विचार करने का आदेश दिया गया है।

11. इसके अलावा, कलकत्ता नगर निगम बनाम पवन कुमार सराफ और अन्य में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर यह दृश्य अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

"प्रति बहुमत (थॉमस और क्वाड्री, जे.जे.)

जब धारा 13(3) कहती है कि निदेशक, सीएफएल का प्रमाणपत्र रिपोर्ट की जगह लेगा, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट रद्द या मिटा दी जाएगी। कानून में "सुपरसीड" शब्द का अर्थ है "मिटाना, अलग करना, रद्द करना, प्रतिस्थापित करना, शून्य या अप्रभावी या बेकार बनाना, निरस्त करना"। एक बार जब केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक का प्रमाण पत्र अदालत में पहुंच जाता है, तो सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट विस्थापित हो जाती है और जो कुछ बचता है वह केवल उसका जीवाश्म है। उपरोक्त संदर्भ में धारा 13 की उपधारा (3) के प्रावधान को भी देखा जा सकता है जो ऐसे प्रमाणपत्र के साक्ष्य मूल्य से संबंधित है। यदि किसी तथ्य को किसी क़ानून द्वारा अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है, तो उसका प्रभाव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई भी पक्ष उस तथ्य को अस्वीकार करने के उद्देश्य से साक्ष्य नहीं दे सकता है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 का आयात है। इस प्रकार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक के प्रमाणपत्र का कानूनी प्रभाव तीन गुना है। यह सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को रद्द या प्रतिस्थापित करता है, यह मामले में शामिल खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और मानक के संबंध में अंतिमता प्राप्त करता है और जहां तक इसमें बताए गए तथ्यों का संबंध है, यह अकाट्य हो जाता है।

12. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दोनों रिपोर्टों के बीच अंतर 0.76% था और इसलिए राम सिंह के मामले (सुप्रा) में अनुमति के अनुसार 0.3% से अधिक था, पूरी तरह से

अस्थिर है और खारिज किए जाने योग्य है। 'कांशीनाथ बनाम राज्य' के निर्णयों पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई निर्भरता? और राज्य बनाम महेंद्र कुमार एवं अन्य। ", जो मानता है कि यदि पीए और निदेशक की रिपोर्टों की तुलना में भारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो नमूने प्रतिनिधि नहीं हैं, अनुचित है। वे निर्णय अच्छे कानून का निर्धारण नहीं करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार नहीं था और दोषमुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए, हम प्रतिवादी को बरी किए जाने के फैसले को रद्द करते हैं और उसे अधिनियम की धारा 2 (आईए) (ए) (सी) और (एम) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं, जो अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत दंडनीय है, जिसे अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़ा जाता है।

हालाँकि, कार्यवाही वर्ष 2004 में शुरू हुई, तब से ए व्यवसाय बंद हो गया है और आरोपी अब लगभग 70 वर्ष का है। इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि सजा पहले ही भुगती गई अवधि तक ही सीमित रहेगी।

13. तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है।

देविका गुजराल अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।